



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939

No. 686]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 778 (अ).—इस मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 3228(अ.), दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य **महाराष्ट्र** के धुले एवं जलगांव जिलों में धुले से लगभग 60 किलोमीटर दूर में स्थित है और पूर्व की ओर 21°23'02.37" अक्षांश एवं पश्चिम की ओर 21°26'51" अक्षांश तथा उत्तर की ओर 75°0'56" देशांतर एवं दक्षिण की ओर 75° 06'57" देशांतर के बीच स्थित है यह **82.95** वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।

और, अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की महत्वपूर्ण वनस्पति सागौन (टेकटोना ग्रांडिस), सादादा (टर्मिनालिया टोमेंटोसा), सीसम (डलबेरिया लटीफोलिया), धावेदा (अनोगेइसस लटीफोलिया), सलाइ (बोसवेल्लिया सेर्राटा), बोंडारा (लगेस्टोइमीया परवीफ्लोरा), सावर (सल्मालिया मालाबरिका), तेम्भुरंन (डायोस्फारस), कुसुम (स्वलेइचेरा ओलेओसा), महुवा (माधुका इंडिका), उम्बेर (फिकस गलोमेराटा), कादाद (स्ट्रेकुलिया उरेइंस), अर्जुन सादादा (टेरमीनिलिया अर्जन), अवाला (इंब्लिका ओपिफसीनालिस) खाइरा (अकैशिया चटेचु), अनजान (हरदवीकिया बिनाटा), पलास (बुटेया मोनोस्पर्मा), मेदसीज (दोलीचांद्रोने फल्काटा), बबुला (अकेशिया नीलोटीका), बोर (जिजफुस मुयरीटीअना), अनजान (हर्दवीकिया बीनाटा), अपटा (बउहीनीया रकेमोसा) अर्जुन सादा (टेरमिनिलिया अर्जुन), अवाला (इम्बिलिका ओपिफकीनालिया), बोंडारा (लेगेर्टस्टोइमीया परवीफ्लोरा), बोर (जिजयफुस माउराटीअना), दावादा (अनोगेइसस लटीफोलिया), घाटबोर (जिजयफुस क्यलोप्यारा), खाइर (अकेशिया कटेचु), मोहा (मधुका इंडिका), नीम्ब (अजादीराकटा इंडिका), पलास (बुटेया मोनास्पर्मा), परोसोपीस (परोसोपीस जुल्लिफ्लोरा), सलाई (बोसवेलिया सेर्राक), टेम्भरूं (दीओसप्यरोस मेलेनाक्यालोन), मेदसींग (दोलिचांद्रान फरकेटु) आदि हैं;

और, अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य अपनी जैवविविधता के लिए जाना जाता है यहां जैवविविधता मूल्यों की दृष्टि से उच्च महत्व वाले पक्षियों, तितलियों, सांपों, स्तनधारियों, रोडेंट, मेंढक, बिच्छू और घासों की विभिन्न प्रजातियां पायी जाती हैं। अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जंगली पशुओं में लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), ग्रे लोमडी (वुलपुस बेन्गालेंसिस), भारतीय चिंकारा (*गज़ेला बेनेटी*), बार्किंग डियर (*मुनटीक्स मुनतजक*), सामान्य नेवला (हेर्पेस्टेस अडवारदसी), जंगली बिल्ली (फैल्लिस चाउस), साही (हसयस्ट्रीस इंडिका), भारतीय खरगोश (लेपुस *नीगरीकोल्लीस*), पांच धारियों वाली पाल्य गिलहरी (फुनाम्बुलुस पेन्नांटी) आदि शामिल हैं।

और, अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0.1 से 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में अनेर बांध

वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 0.1 से 3.00 किलोमीटर तक के क्षेत्र (अधिसूचना के उपाबंध क के रूप में संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए अनुसार) को अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 से 3.0 किलोमीटर तक क्षेत्र 69.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

(2) अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) सीमा के विवरण और अक्षांश एवं देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II, उपाबंध II क-ग** के रूप में संलग्न है।

(4) अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** में दिए गए हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 5 ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना:-

(i) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(ii) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।

(iii) आंचलिक महायोजना, में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जायेगा, :-

- i. पर्यावरण;
- ii. वन और वन्यजीव;
- iii. कृषि;
- iv. राजस्व;
- v. शहरी विकास;

- vi. पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- ix. नगरपालिका;
- x. पंचायती राज; और
- xi. लोक निर्माण विभाग।

(iv) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(v) आंचलिक महायोजना में वन रहित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(vi) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(vii) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 की सारणी में यथा सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जायेगा इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का भी सुनिश्चित तथा संवर्धन किया जायेगा।

(viii) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(ix) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित हो सके।

(x) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी के अपने कृत्यों का निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जायेगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग हैं; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधा तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप:

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावास एवं जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना शामिल की जाएगी। इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश बनाए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से बनाई जायेगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किये जाएंगे, :-

(i) अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनाई जायेगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति क्षेत्रों, तथा ऐतिहासिक, स्थापित्य संबंधी सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनाई जायेगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात होगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात होगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना

सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क यातायात:** - सड़क यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव

आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की ईकाइयां।	<p>(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने हेतु जमीन की खुदाई एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ;</p> <p>(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।</p>
2.	प्रदूषण जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।</p>
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कारों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और (लागू दिशानिर्देशों के अनुसार) सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।</p>
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:</p> <p>(ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;</p>

		<p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना;</p> <p>(iv) ग्रामीण कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढावा दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ग) परन्तु लघु उद्योगों, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
12.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	<p>(क) सतही जल और भू-जल का निष्कर्षण केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि-उपयोग एवं घरेलू उपयोग के लिए ही अनुज्ञात होगा।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भू-जल के परिणाम सहित उसके निष्कर्षण के लिए संबंधित</p>

		विनियामक प्राधिकरण से लिखित पूर्वानुमति लेनी अपेक्षित होगी। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) कृषि सहित किसी भी स्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण, को रोकने के उपाय किए जाएंगे।
14.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे कि यान एवं गर्म वायु के गुब्बारों को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत तार बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए तब तक 1 से 10 डिग्री के ढलानों वाली पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर दूर तक, कोई संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	पोलिथीन के थैलों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन के थैलों के प्रयोग

		की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगी।
25.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
27.	वायु, और वाहन जनित प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	जैव अवक्रमणीय सामग्री का पुनर्चक्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों के लिए बाड़ का निर्माण।	वन्यजीवों की मुक्त आवाजाही के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर स्थित होटल या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपनी संपत्तियों के चारों ओर कांटेदार बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। यदि कोई विद्यमान बाड़ इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, तो उसे आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा।
30.	कैम्पिंग और ट्रैकिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	ठोस अपशिष्ट या प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	सामुदायिक रिजर्व की प्रकृति।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
बढ़ावा दिए गए		
33.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही मौजूदा कृषि पद्धतियाँ, बागान और अन्य वानिकी गतिविधियाँ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पारिस्थितिकी-अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	अवक्रमित भूमि/वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	कलक्टर, धूले	अध्यक्ष
2.	कलक्टर जलगांव का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सीईओ, जिला परिषद, धूले	सदस्य
4.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य
5.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ ।	सदस्य
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ ।	सदस्य
7.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
8.	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य
9.	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य
10.	वन संरक्षक (वन्यजीव), नासिक	सदस्य
11.	उप वन संरक्षक, धूले संभाग	सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (3) वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं। उनकी इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल नहीं हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा.सं. 25/92/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I**अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**


अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य में क्षैतिज रूप से पूर्व-पश्चिम भाग फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं क्रमशः धुले और जलगांव जिला के धुले वन संभाग के शिरपुर रेंज के कम्पाटमेंट और यवल वन संभाग के चौपडा रेंज के कम्पाटमेंट और शिरपुर और चौपडा तहसीलों के राजस्व क्षेत्रों से घिरी हुई हैं जैसा कि नीचे उल्लिखित है।

सारणी

दिशा	चारों ओर की सीमाएं
उत्तर	धुले वन संभाग, शिरपुर रेंज के रोहिणी वृन्त के कम्पाटमेंट सं.1001,1004,1005,1006, 992,975; जिला धुले में शिरपुर रेंज के सुले वृन्त और सूले ग्राम फट्टेपुर ग्राम का कम्पाटमेंट सं.969
पश्चिम	जिला धुले के राजस्व क्षेत्र के तहसील शिरपुर में शिरपुर रेंज के सूले वृन्त और सुले, नतवडे और दहीवाड ग्रामों कम्पाटमेंट सं. 982,985,986
दक्षिण	शिरपुर रेंज के सुले के वृन्त के कम्पाटमेंट सं. 1014, 1015 ; शिरपुर रेंज के हिसाले वृन्त धुले वन संभाग और तहसील शिरपुर जिला धुले में दहीवाड, असली, गोदी, सवेर और बभलज ग्रामों और के राजस्व क्षेत्र के कम्पाटमेंट सं.1016, 1017, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057 ।
पूर्व	चौपडा रेंज यवल वन संभाग, के लासूर वृन्त के कम्पाटमेंट सं.282, 283, 287; चौपडा रेंज, यवल वन संभाग के सत्रासेन वृन्त और जलगांव जिला, चौपडा तहसील के सत्रासेन, और मराठे ग्रामों के राजस्व क्षेत्र का कम्पाटमेंट सं. 278


उपाबंध- IIक

भारत के सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन और अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन और अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य का चित्र



उपाबंध- II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी चित्र

Google earth Image of ADWLS & ESZ with Co-ordinates



उपाबंध-III

सारणी क: संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश- देशांतर

संरक्षित क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक:-

अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक			अनेर बांध वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक		
क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ 21° 23'39.79"	पू 74° 57'44.07"	ए	उ 21° 23'45.442"	पू 74° 57'48.956"
2	उ 21° 24'03.84"	पू 74° 59'03.22"	बी	उ 21° 23'13.279"	पू 74° 59'29.263"
3	उ 21° 23'36.72"	पू 75° 02'07.60"	सी	उ 21° 23'44.414"	पू 75° 01'04.430"
4	उ 21° 23'35.61"	पू 75° 03'06.30"	डी	उ 21° 21'53.204"	पू 75° 02'38.915"
5	उ 21° 22'22.591"	पू 75° 03'58.792"	इ	उ 21° 21'09.459"	पू 75° 03'51.902"
6	उ 21° 21'24.113"	पू 75° 05'45.443"	एफ	उ 21° 20'58.867"	पू 75° 06'05.398"
7	उ 21° 22'07.503"	पू 75° 06'22.965"	जी	उ 21° 20'53.902"	पू 75° 08'59.483"
8	उ 21° 21'24.460"	पू 75° 08'46.038"	एच	उ 21° 20'37.644"	पू 75° 07'22.527"
9	उ 21° 20'31.773"	पू 75° 10'18.544"	आई	उ 21° 19'26.288"	पू 75° 09'17.483"
10	उ 21° 18'49.847"	पू 75° 10'30.658"	जे	उ 21° 19'17.578"	E 75° 07'08.011"
11	उ 21° 18'49.417"	पू 75° 07'40.062"	के	उ 21° 18'40.115"	पू 75° 04'18.963"
12	उ 21° 17'33.815"	पू 75° 06'02.472"	एल	उ 21° 18'43.667"	पू 75° 02'22.092"
13	उ 21° 17'48.361"	पू 75° 01'54.639"	एम	उ 21° 19'58.981"	पू 75° 00'00.000"
14	उ 21° 18'32.245"	पू 75° 00'07.825"	एन	उ 21° 22'07.632"	पू 74° 58'19.210"
15	उ 21° 20'28.353"	पू 74° 58'42.891"	ओ	उ 21° 23'07.692"	पू 74° 58'20.532"
16	उ 21° 21'27.392"	पू 74° 57'28.396"			
17	उ 21° 22'30.983"	पू 74° 58'00.118"			

उपाबंध-IV

अनेर बांध बन्वजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची एवं जीपीएस बिंदु

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4
I	नटवादा तहसील- शिरपुर(धुले जिला)	उ 21° 23 '38.659"	पू 74° 57' 08.240"
II	सुले तहसील- शिरपुर (धुले जिला)	उ21° 23' 40.908"	पू 74° 59' 04.484"
III	लक्दया हनुमान तहसील- शिरपुर (धुले जिला)	उ 21° 23 '35.226"	पू 75° 02' 20.462"
IV	सत्रासेन तहसील- चौपादा(जलगांव जिला)	उ21° 21 '37.549"	पू 75° 09' 05.185"

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O.778 (E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3228(E), dated 23rd November, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Aner Dam Wildlife Sanctuary situated about 60 Kms from Dhule in Dhule & Jalgaon Districts of Maharashtra and lying between latitudes 21°23'02.37" towards East and 21°26'51" towards West and longitudes 75°0'56" towards North and 75° 06'57" towards South is spread over an area of **82.95 sq. Kms.**

AND WHEREAS, important flora of Anerdam Wildlife Sanctuary are Teak (*Tectona grandis*), Sadada (*Terminalia tomentosa*), Shisam (*Dalbergia latifolia*), Dhavada (*Anogeissus latifolia*), Salai (*Boswellia serrata*), Bondara (*Lagerstroemia parviflora*), Sawar (*Salmalia malabarica*), Tembhorn (*Diospyrous melanoxylon*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Mahuwa (*Madhuca indica*), Umbar (*Ficus glomerata*), Kadai (*Streculia urens*), Arjun sadada (*Terminalia arjuna*), Awala (*Emblica officinalis*) Khair (*Acacia catechu*), Anjan (*Hardwickia binata*), Palas (*Butea Monosperma*),

Medsing (*Dolichandrone falcata*), Babul (*Acacia nilotica*), Bor (*Zizyphus mauritiana*), Anjan (*Hardwickia binata*), Apta (*Bauhinia racemosa*) Arjun Sada (*Terminalia arjuna*), Awla (*Emblica officinalia*), Bondara (*Legerstroemia parviflora*), Bor (*Zizyphus mauritiana*), Dawada (*Angeissus latifolia*), Ghatbor (*Zizyphus xylopyra*), Khair (*Acacia catechu*), Moha (*Madhuca indica*), Nimb (*Azadiracta indica*), Palas (*Butea monasperma*), Prosopis (*Prosopis juliflora*), Salai (*Boswellia serrak*), Tembhrun (*Diospyros melenoxylon*), Medsing (*Dolichandran farcatu*) etc.

AND WHEREAS, the Aner Dam Wildlife Sanctuary is known for its biodiversity where various species of birds, butterflies, Snakes, Mammals, Rodent, Frog, Scorpion and Grasses are found highly important for biodiversity values. Important Wild Animals reported from the Anerdam Wildlife Sanctuary are Hyena (*Hyanena, hyanena*), Jackal (*Canis aureaus*), Gray Fox (*Vulpus bengalensis*), Indian Gazelle (*Bazella gazelle*), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Common mongoose (*Herpestes adwardsi*), Wild cat (*Fellis chaus*), Porcupine (*Hystrix indica*), Indian Hare (*Lepus nigricollis*), Five striped Palm Squirrel (*Funambulus pennanti*) etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the extended area from **0.1 to 3 kms** around the boundary of Aner Dam Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area of 0.1 to 3.0 kms from the boundary of the protected area of Aner Dam Wildlife Sanctuary in the state of Maharashtra (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as Aner Dam Wildlife Sanctuary the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-

- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of **69.42 square kilometres** of an extent up to **0.1 to 3.0 kms** around the boundary of Aner Dam Wildlife Sanctuary.
- (2) The boundary description of Aner Dam Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I**.
- (3) The map of the Aner Dam Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II, Annexure-II A-C**.
- (4) The Geo-coordinates of Aner Dam Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III**.
- (5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

- (i) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (ii) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (iii) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - i. Environment;
 - ii. Forest and Wildlife;
 - iii. Agriculture;
 - iv. Revenue;
 - i. Urban Development;
 - v. Tourism;
 - vi. Rural Development;
 - vii. Irrigation and Flood Control;
 - viii. Municipal ;
 - ix. Panchayati Raj ; and
 - x. Public Works Department.
- (iv) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (v) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (vi) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (vii) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (viii) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (ix) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (x) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the final notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) promoted activities and given in paragraph 4:
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 0.1 km from the boundary of the Aner Dam Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 0.1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** –
- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>a. All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.</p> <p>b. The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	<p>No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.</p> <p>Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central</p>

		Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
9.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations,</p>

		if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Commercial use of firewood.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.

21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
23.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
25.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
29.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
30.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Community Reserve Nature	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

39.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
40.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
44.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	Collector Dhule	Chairman
2.	Representative of Collector Jalgaon	Member
3.	C.E.O. Zilla Parishad, Dhule	Member
4.	One representative of NGO working in the field of Environment to be nominated by the State Government for a term of the year in each case.	Member
5.	Expert Ecology	Member
6.	Expert Biodiversity	Member
7.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a term of the year in each case	Member
8.	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control board of the area.	Member
9.	Senior Town Planner of the area	Member
10.	Conservator of Forests (Wildlife), Nashik	Member
11.	Deputy Conservator of Forests Dhule Division.	Member Secretary

6. Terms of Reference. –

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/92/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ANER DAM ECO-SENSITIVE ZONE**


The Aner Dam Wildlife Sanctuary horizontally spreaded over East-West Side. The area included in Eco-sensitive Zone falls in Southern Tropical Dry Deciduous Forest type. The boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone are bounded by Compartments of Shirpur Range of Dhule Forest Division and Compartments of Chopada Range of Yawal Forest Division and Revenue areas of Shirpur and Chopada Tahsils of District Dhule and Jalgaon respectively as shown below.

TABLE

Direction	Bounded by
North	Comptt No.1001,1004,1005,1006,992,975 of Rohini round of Shirpur Range, Dhule Forest Division; Comptt No.969 of Sule round of Shirpur range and Revenue area Sule village and Fattepur village in ShirpurTahsil District Dhule .
West	Comptt No.982,985,986 of Sule round of Shirpur range and Revenue area of Sule, Natwade and Dahiwad villages in ShirpurTahsil District Dhule.
South	Comptt No.1014, 1015 of Sule round of Shirpur Range; Comptt No.1016, 1017, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057 of Hisale round of Shirpur Range, Dhule Forest Division and Revenue area of Dahiwad, Asali, Godi, Saver and Babhlajvillages in ShirpurTahsil District Dhule.
East	Comptt No. 282, 283, 287 of Lasur round of Chopada Range, Yawal Forest Division; Comptt No. 278 of Satrasen round of Chopada Range, Yawal Forest Division and Revenue area of Satrasen and Marathe village Tahsil Chopda District Jalgaon.


ANNEXURE- II A

MAP OF ANERDAM WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- II B


MAP OF ANERDAM WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- II C

GOOGLE EARTH IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

Google earth Image of ADWLS & ESZ with Co-ordinates



 **ADWLS Area**

 **ESZ Area**

ANNEXURE-III

**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations PA and ESZ
GPS Co-ordinates of Protected Area:-**

Coordinates of Proposed ESZ of Aner Dam Wild life Sanctuary			Coordinates of Aner Dam Wild life Sanctuary		
Sr.No	Latitude	Longitude	Sr.No	Latitude	Longitude
1	N 21° 23'39.79"	E 74° 57'44.07"	A	N 21° 23'45.442"	E 74° 57'48.956"
2	N 21° 24'03.84"	E 74° 59'03.22"	B	N 21° 23'13.279"	E 74° 59'29.263"
3	N 21° 23'36.72"	E 75° 02'07.60"	C	N 21° 23'44.414"	E 75° 01'04.430"
4	N 21° 23'35.61"	E 75° 03'06.30"	D	N 21° 21'53.204"	E 75° 02'38.915"
5	N 21° 22'22.591"	E 75° 03'58.792"	E	N 21° 21'09.459"	E 75° 03'51.902"
6	N 21° 21'24.113"	E 75° 05'45.443"	F	N 21° 20'58.867"	E 75° 06'05.398"
7	N 21° 22'07.503"	E 75° 06'22.965"	G	N 21° 20'53.902"	E 75° 08'59.483"
8	N 21° 21'24.460"	E 75° 08'46.038"	H	N 21° 20'37.644"	E 75° 07'22.527"
9	N 21° 20'31.773"	E 75° 10'18.544"	I	N 21° 19'26.288"	E 75° 09'17.483"
10	N 21° 18'49.847"	E 75° 10'30.658"	J	N 21° 19'17.578"	E 75° 07'08.011"
11	N 21° 18'49.417"	E 75° 07'40.062"	K	N 21° 18'40.115"	E 75° 04'18.963"
12	N 21° 17'33.815"	E 75° 06'02.472"	L	N 21° 18'43.667"	E 75° 02'22.092"
13	N 21° 17'48.361"	E 75° 01'54.639"	M	N 21° 19'58.981"	E 75° 00'00.000"
14	N 21° 18'32.245"	E 75° 00'07.825"	N	N 21° 22'07.632"	E 74° 58'19.210"
15	N 21° 20'28.353"	E 74° 58'42.891"	O	N 21° 23'07.692"	E 74° 58'20.532"
16	N 21° 21'27.392"	E 74° 57'28.396"			
17	N 21° 22'30.983"	E 74° 58'00.118"			

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES & GPS POINT IN ESZ OF ANERDAM WILDLIFE
SANCTUARY**

SR NO	NAME OF VILLAGES	LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4
I	NatwadaTahsil- Shirpur(DhuleDist)	N 21 ^o 23 '38.659''	E 74 ^o 57' 08.240''
II	SuleTahsil- Shirpur (DhuleDist)	N 21 ^o 23' 40.908''	E 74 ^o 59' 04.484''
III	LakdyaHanumanTahsil- Shirpur(DhuleDist)	N 21 ^o 23 '35.226''	E 75 ^o 02' 20.462''
IV	SatrasenTahsil- Chopada(JalgaonDist)	N 21 ^o 21 '37.549''	E 75 ^o 09' 05.185''

Annexure –V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.